राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

''ए'' ब्लॉक, वित्त भवन, ज्योति नगर, जनपथ, जयपुर–302005

क्रमांकः एफ 4 (ई)(1)(6)/स्थानान्तरण/अलेसे–III/279 जयपुर दिनांक : 17/5/2022

परिपत्र

निदेशालय द्वारा जारी किये गये स्थानान्तरण आदेशों की पालना में कतिपय कार्मिकों द्वारा आदिनांक तक अपने नवपदस्थापन कार्यालय/स्थान पर कार्यग्रहण नहीं किया गया है। अतः समस्त स्थानान्तरणाधीन अधीनस्थ लेखा सेवा कार्मिकों को एतद्द्वारा निर्देशित किया जाता हैं कि विभागीय स्थानान्तरण आदेशों की पालना में दिनांक 20 मई 2022 तक अपने नवपदस्थापन स्थान पर आवश्यक रूप से कार्यग्रहण कर सूचना निदेशालय को प्रेषित करावें, अन्यथा नियोक्ता प्राधिकारी के आदेशों की अवहेलना के क्रम में सम्बन्धित कार्मिक के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ की जावेगी, जिसके लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगें।

(भूपेश माथुर)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः एफ 4 (ई)(1)(6)/स्थानान्तरण/अलेसे–III/279 जयपुर दिनांक : 17/5/2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित हैः–

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संबंधित कोषाधिकारी ....।
3. संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष को प्रेषित कर निवेदन हैं कि स्थानान्तरणाधीन कार्मिकों को अविलम्ब उनके नवपदस्थापन कार्यालय/विभाग हेतु कार्यमुक्त कराने का श्रम करें, साथ ही निर्देशानुसार यह भी लेख हैं कि यदि संबंधित कार्मिक विभागीय आदेशों की पालना में स्वतः ही कार्यमुक्त होकर नवपदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करता हैं तो यह उनके विरूद्ध किसी भी प्रकार की अनुशासनिक कार्यवाही का आधार नहीं होगा। नियोक्ता प्राधिकारी ऐसे मामलों में कार्यग्रहण करने वाले कार्मिकों के विरूद्ध किसी कार्यवाही का अनुमोदन नहीं करेगा।
4. संबंधित कार्मिक ....को प्रेषित कर लेख हैं कि उन्हें पदस्थापित विभाग/कार्यालय द्वारा कार्यमुक्त नहीं किये जाने की स्थित में स्वतः ही कार्यमुक्त होकर अपने नवपदस्थापन कार्यालय में कार्यग्रहण कर पालना रिपोर्ट से इस निदेशालय को अवगत करावें।
5. अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–I/कार्मिक–II) कार्यालय हाजा।
6. उपनिदेशक (एसीपी) को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
8. निजी पत्रावली/गार्ड फाईल।

(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–III)